

**To Whom it may concern**

सिटी मोबाईल द्वारा गाजीपुर जनपद में सेकेण्ड हैंड कारों के कय-विकय का कार्य अथराईज्ड एजेन्सी के रूप में किया जाता है।

श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी द्वारा अपनी हुण्डई सेन्ट्रो कार नं० यू०पी०-७१-इ-५७४७ का एन०ओ०सी० जनपद फतेहपुर से जनपद गाजीपुर के लिए प्राप्त की गयी।

श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी, विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, गाजीपुर द्वारा अपनी हुण्डई सेन्ट्रो कार नं० यू०पी०-७१-इ-५७४७ विकय किये जाने हेतु सिटी मोबाईल को दिया गया था। क्योंकि वह अच्छी हालत में नहीं थी। श्री राम कृष्ण, आरक्षी थाना कोतवाली द्वारा इस कार को देखकर स्वयं द्वारा ५०,०००/-रूपये में कय किये जाने की इच्छा व्यक्त की गयी।

इस सम्बन्ध में श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी को इसकी सूचना दी गयी। श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी द्वारा इस हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गयी।

तत्पश्चात उक्त कार संख्या यू०पी०-७१-इ-५७४७ का विकय रूपये ५०,०००/-रूपये में श्री राम कृष्ण को श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी द्वारा किया गया। विकयशुदा धनराशि मु०-५०,०००/-रूपया चेक संख्या-७०११४१ भारतीय स्टेट बैंक, शाखा गोरखनाथ, जनपद गोरखपुर के माध्यम से श्री राम कृष्ण द्वारा श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी के भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-गाजीपुर के बचत खाता संख्या-२०००७०९५०२२ में अदा किया गया और उक्त कार का नामान्तरण श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी के स्थान पर श्री राम कृष्ण के नाम पर कराया गया।

इस प्रकार श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी की सेन्ट्रोकार नं०-यू०पी०-७१-ई- ५७४७ का विकय मु०-५०,०००/- (पचास हजार) रूपये में सिटी मोबाईल द्वारा श्री राम कृष्ण, आरक्षी, थाना कोतवाली गाजीपुर के पक्ष में किया गया।

अनास जमाल  
प्रबन्धक  
सिटी मोबाईल, गाजीपुर।